क्रम संख्या–158 (ख)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 07 अक्टूबर, 2016 ई0

आश्विन 15, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 277/XXXVI(3)/2016/28(1)/2016

देहरादून, 07 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन माननीय राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था विधेयक, 2016" पर दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 21 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 2016

उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या वर्ष 2016

पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की अपेक्षाकृत उत्पादकता में वृद्धि किये जाने, कृषि को व्यावसायिक स्वरूप दिये जाने तथा इस प्रकिया में स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि किये जाने के निमित्त उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी जोतों की चकबन्दी की व्यवस्था किये जाने के लिये अधिनियम।

(भारत गणराज्य के सड़सठवे वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

अध्याय 1

प्रारम्भिक और परिभाषाएँ

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ– 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 2016 है।

(2) इसका प्रसार जिला हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर तथा देहरादून, टिहरी, पौडी, नैनीताल एव चंपावत जिलों के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त पर्वतीय क्षेत्रों में होगा।

(3) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी और शेष अधिनियम ऐसी तारीख से, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, प्रवृत्त होगा और विभिन्न तारीखें उत्तराखण्ड के विभिन्न भागों के लिए नियत की जा सकेगी।

परिभाषाएँ 2. विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में–

(1) (क) *"राज्य सरकार"* से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(ख) *"भूमि"* से ऐसी भूमि अभिप्रेरित है, जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यानकरण तथा पशुपालन (जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन और कुक्कुट पालन भी है) से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है–

(i) जोत का वह भाग, जो मकान या अन्य समरूप रचना का स्थल हो, और

(ii) ऐसे पेड़, कुएं और अन्य समुन्नतियाँ जो उन गाटों में हों, जिनसे मिलकर जोत बनी हों;

(iii) ऐसे गैर जमीदारी विनाश भूमि जो खातेदारों की स्वामित्व की हो एवं चकबन्दी योजना के लिए आवश्यक हो।

(ग) 'कटक' का तात्पर्य ऐसे गाँव या उसके भाग से है, और यदि चकबन्दी संचालक सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा यह अधिसूचित करे तो, ऐसे दो या अधिक गाँव अथवा उनके भागों से है जिसके या जिनके लिए चकबन्दी की एक ही योजना बनानी है

(घ) 'जोत' का तात्पर्य भूमि के ऐसे भाग अथवा भागों से है, जो किसी खातेदार द्वारा अकेले अथवा अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त रूप में एक खाते के अधीन अधिकृत हों;

स्पष्टीकरण– इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए जोत के अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है–

(i) वह भूमि जिसमें बाढ़ का पानी आया करता हो तथा जिसमें अत्यधिक कटाव होता हो;

(ii) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 132 में उल्लिखित भूमि;

(iii) ऐसे संहत क्षेत्र जो सामान्यतः दीर्घकाल तक जलप्लावित रहते हों;

(iv) ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें चकबन्दी संचालक, चकबन्दी के प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त प्रख्यापित करे।

(v) ऐसा क्षेत्र जो चकबन्दी कार्य प्रारम्भ होने की अधिसूचना के उपरान्त उपसंचालक चकबन्दी द्वारा व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित व अधिसूचित की जाय।

(2) (क) "चकबन्दी" से एक कटक के जोतों की विभिन्न खातेदारों के बीच इस प्रकार पुनर्व्यवस्था करने से है जिससे कि उनके अपने–अपने खाते अधिक संहत हो जायें।

(ख) *'चकबन्दी–योजना'* से किसी कटक में चकबन्दी की योजना अभिप्रेत है।

(ग) *'चकबन्दी क्षेत्र'* का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसके लिए धारा 3 के अधीन अधिसूचना जारी की जा चुकी हो, किन्तु इसमें इसके वे भाग सम्मिलित न होंगे जिन पर 1950 के जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1950) या किसी अन्य विधि जिसके द्वारा जमींदारी प्रणाली समाप्त कर दी गयी हो के उपबन्ध लागू न हो।

(घ) *"चकबन्दी समिति"* से तात्पर्य उस समिति से है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियत रीति से संगठित की जाए।

(ङ) "चकबन्दी अभिलेख" से चकबन्दी या स्वैच्छिक चकबन्दी की किया के दौरान बनाये जाने वाले नक्शों, पंजिकाओं, आकार पत्रों व नोटिसों आदि से है, जो यथा सम्भव डिजिटल स्वरूप में भी रखे जायेंगें।

(च) *"चक"* से चकबन्दी होने पर खातेदार को प्रदिष्ट भूमि के खण्ड अभिप्रेत है।

(छ) "स्वैच्छिक चकबन्दी" से अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन परस्पर विनिमय, दान एवं उपहार से होने वाली चकबन्दी से होगा।

(3) (क) *"चकबन्दी–लेखपाल"* से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबन्दी लेखपाल के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त करें तथा चकबन्दी–क्रियाओं के अधीन क्षेत्रों में उ०प्र० भू–राजस्व अधिनियम, 1901 के अधीन नियुक्त लेखपाल भी इसके अन्तर्गत आते हैं।

(ख) *"चकबन्दीकर्ता"* से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबन्दीकर्ता के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए, इस स्थिति में, नियुक्त करे और इसके अन्तर्गत समकोणकार तथा चकबन्दी–क्रियाओं के अधीन क्षेत्रों में उ०प्र० भू–राजस्व अधिनियम, 1901 के अधीन उक्त क्षेत्र के लिए नियुक्त सुपरवाइजर कानूनगो भी है।

(ग) *"सहायक चकबन्दी अधिकारी"* से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त करे और इसके अन्तर्गत सहायक समकोणीय अधिकारी भी है।

(घ) *"चकबन्दी अधिकारी"* से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबन्दी अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त करे और इसके अन्तर्गत समकोण अधिकारी भी है;

(ङ) *बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी"* से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन बन्दोबस्त

अधिकारी (चकबन्दी) के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए, इस स्थिति में, नियुक्त करे तथा अतिरिक्त बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी एवं सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी भी इसके अन्तर्गत हैं;

(च) *उप–संचालक चकबन्दी* से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार चकबन्दी संचालक के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए, इस स्थिति में, नियुक्त करे जो उसे राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायें तथा जिला उप–संचालक चकबन्दी और सहायक चकबन्दी संचालक भी इसके अन्तर्गत हैं;

(छ) *जिला उप–संचालक चकबन्दी* से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय जिले का कलेक्टर हो;

(ज) *चकबन्दी संचालक* से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबन्दी–संचालक के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त करे और अतिरिक्त चकबन्दी संचालक तथा संयुक्त चकबन्दी संचालक भी इसके अन्तर्गत हैं।

(ञ) *'नियत'* से इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत अभिप्रेत है;

(ट) *'विधिक प्रतिनिधि'* का वही अर्थ है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में दिया गया है।

(ठ) किसी लेख्य के सम्बन्ध में *'कटक के प्रकाशन'* या *'कटक में प्रकाशित करना'* का तात्पर्य ढुग्गी पीटकर पूर्व सूचित दिनांक पर किसी कटक में उस लेख्य को पढ़कर सुनाने तथा कटक में ढुग्गी पीटकर अथवा अन्य किसी रूढ़िगत ढंग से इस तथ्य की घोषणा करने से है कि किसी निश्चित स्थान तथा समय पर वह लेख्य सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। इसमें इन्टरनेट पर प्रकाशन सम्मिलित है।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कटक के लिए चकबन्दी–समिति संगठित हो गयी हो तो उक्त समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रकाशन के तथ्य की अलग–अलग सूचना भी दी जायेगी।

(ड) *'समकोण निर्माण'* से चकबन्दी के समय चकों के प्रदर्शन को विनियमित करने के उद्देश्य से कटक के क्षेत्र को सुविधाजनक आकार के समकोण चतुर्भुज तथा ऐसे चतुर्भुज के भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(8) 'खातेदार' से अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर अथवा अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत–

(क) असामी,

(ख) सरकारी पट्टेदार या सरकारी अनुदानगृहीता, या

(ग) सहकारी कृषि समिति जो ऐसी शर्तों को पूरा करती हो, जो नियत की जायें, भी है;

(9) "चकबन्दी अभिलेखों का प्रकाशन" से चकबन्दी योजना के दौरान प्रख्यापित किये जाने वाले विभिन्न चकबन्दी अभिलेखों के प्रकाशन अभिप्रेत है। इसमें डिजिटल स्वरूप में तैयार किये गये अभिलेखों का इन्टरनेट पर प्रकाशन भी सम्मिलित है।

(10) उन शब्दों और पदों के–

(क) जिनकी इस अधिनियम में परिभाषा नहीं दी गई है किन्तु जो उ०प्र० भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 3 सन् 1901) में प्रयुक्त अथवा परिभाषित है, अथवा

(ख) जो इस अधिनियम में अथवा उ०प्र० भू–राजस्व अधिनियम, 1901 में परिभाषित नहीं है किन्तु जो 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम (उ०प्र० एक्ट सं. 1, 1950) में प्रयुक्त अथवा परिभाषित है;

वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में दिये गये हैं जिनमें वे इस प्रकार प्रयुक्त या परिभाषित हैं, और

(11) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 सन् 1951) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त संशोधित) तथा उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 (यू०पी० अधिनियम संख्या 3, 1901) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के सम्बन्ध में अभिदेश समय–समय पर यथासंशोधित उक्त अधिनियम के सम्बन्ध में अभिदेश समझे जायेंगे।

अध्याय 2

नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन

चकबन्दी के सम्बन्ध में प्रख्यापन तथा अधिसूचना

3. (1) (क) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि कोई जिला, ग्राम या उसका भाग चकबन्दी–क्रियाओं या स्वैच्छिक चकबन्दी के अधीन लाया जाय, तो वह गजट में इस आशय का प्रख्यापन कर सकती है। तदुपरान्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी के लिए जो जिला उप–संचालक चकबन्दी द्वारा तदर्थ अधिकृत किये जायें, यह विधिसंगत होगा कि वह–

(एक) उक्त क्षेत्र की किसी भूमि में, समकोण निर्माण के सम्बन्ध में या अन्यथा प्रवेश करे तथा उसका सर्वेक्षण करे और स्तर मालूम करे,

(दो) समकोण–निर्माण के सम्बन्ध में खम्भे लगाये, और

(तीन) चकबन्दी–क्रियाओं के लिए क्षेत्र की उपयुक्तता का निश्चय करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करे।

(ख) जिला उप–संचालक चकबन्दी खण्ड (क) के अधीन जारी किये गये प्रख्यापन की सार्वजनिक सूचना उक्त जिले या उसके भाग में सुविधापूर्ण स्थानों पर दिलवायेगा।

(2) (क) जब राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये प्रख्यापन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में चकबन्दी–क्रियाएं आरम्भ करने का निश्चय करे, तो वह इस आशय की अधिसूचना जारी कर सकती है।

(ख) प्रत्येक ऐसी अधिसूचना गजट में और ऐसे किसी दैनिक समाचार–पत्र में जिसका उक्त क्षेत्र में प्रचलन हो प्रकाशित की जायेगी और उक्त क्षेत्र में प्रत्येक कटक में ऐसी रीति से भी प्रकाशित की जायेगी जैसी समुचित समझी जाय।

(3) (क) जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी ऐसे जिले, गाँव या उसके भाग की स्थिति में जिसके सम्बन्ध में धारा 37 के अधीन अधिसूचना जारी की जा चुकी है, लोकहित में ऐसा करना समीचीन है वहाँ वह गजट में अधिसूचना द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसा जिला या उसका भाग फिर से चकबन्दी–क्रिया के अन्तर्गत लाया जा सकता है;

परन्तु उक्त धारा में निर्दिष्ट अधिसूचना के दिनांक से 20 वर्ष के

भीतर ऐसी कोई घोषणा जारी नहीं की जायेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार लोकहित में उक्त दिनांक से 10 वर्ष के बाद ऐसी घोषणा जारी कर सकेगी।

(ख) उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना पर इस अधिनियम के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 3 के अधीन किसी अधिसूचना पर लागू होते हैं।

धारा 3(2) के अधीन अधिसूचना का प्रभाव

4. (1) सरकारी गजट में धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन, अधिसूचना प्रकाशित होने पर उसमें निर्दिष्ट दिनांक से तथा धारा 37 के अधीन अथवा धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन, जैसी भी दशा हो, अधिसूचना प्रकाशित होने तक धारा 3 (2) के अधीन अधिसूचना, से सम्बद्ध क्षेत्र में, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे–

(क) जिला, गाँव अथवा उसका भाग, जैसी भी दशा हो, चकबन्दी–क्रियाओं के अन्तर्गत समझा जायेगा और अधिकार–अभिलेख का रख–रखाव तथा प्रत्येक गाँव के नक्शे, खसरे और वार्षिक रजिस्टर की तैयारी का कार्य जिला उप–संचालक चकबन्दी करेगा, जो कि उनका रख–रखाव अथवा उनकी तैयारी, जैसी भी दशा हो, नियत रीति से करेगा;

(ख) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी की लिखित पूर्व प्राप्त आज्ञा के बिना कोई खातेदार– कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन, जिसमें मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है, से असम्बद्ध प्रयोजन के लिए अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग नहीं करेगा,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खातेदार अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिए कर सकता है, जिसके लिए धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन, जारी की गई अधिसूचना में निर्दिष्ट दिनांक से पहले वह उपयोग में लाया जा रहा था।

(2) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना के उक्त प्रकाशन के फलस्वरूप अधिसूचना से सम्बद्ध क्षेत्र में निम्नलिखित और परिणाम होंगे, अर्थात्–

(क) अभिलेखों के संशोधन की प्रत्येक कार्यवाही का तथा उस क्षेत्र में स्थित किसी भूमि में अधिकारी या स्वत्व के प्रख्यापन के सम्बन्ध में प्रत्येक वाद और

कार्यवाही का अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार के जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती हो या की जानी चाहिए, प्रख्यापन या निर्णय के लिए प्रत्येक वाद या कार्यवाही का, जो प्रारम्भिक अथवा अपील या अभिदेश सुनने वाले अथवा पुनरीक्षण करने वाले किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, उस न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा जिसके समक्ष ऐसा वाद या कार्यवाही विचाराधीन हो, तदर्थ आदेश देने पर उपशमित हो जायेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा आदेश सम्बद्ध पक्षों को डाक से अथवा अन्य किसी रीति से नोटिस दिये बिना और उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं दिया जाएगा:

प्रतिबंध यह भी है कि उक्त क्षेत्र अथवा उसके भाग के सम्बन्ध में धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने पर, यथास्थिति, ऐसे क्षेत्र या उसके भाग में स्थित भूमि के सम्बन्ध में प्रत्येक ऐसा आदेश रद्द हो जायेगा;

(ख) ऐसे उपशमन से, उक्त वादों अथवा कार्यवाहियों में विवादास्पद अधिकारों अथवा स्वत्वों के प्रश्नों की, इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन तथा उनके अनुसार प्रभावित व्यक्तियों के समुचित चकबन्दी प्राधिकारियों के समक्ष उठाने के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्पष्टीकरण–उपधारा, (2) के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के अधीन कोई कार्यवाही या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 134 से 137 के अधीन निर्विरोध कार्यवाही को किसी भूमि में अधिकार या स्वत्व की घोषणा के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं समझा जायेगा।

धारा 3 के अन्तर्गत प्रचारित अधिसूचना का रद्द करना

5. (1) राज्य सरकार के लिए वैध होगा कि वह धारा 3 के अन्तर्गत प्रचारित अधिसूचना, को उसमें निर्दिष्ट समस्त क्षेत्र अथवा उसके किसी एक भाग के सम्बन्ध में रद्द कर दे।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन किसी कटक के सम्बन्ध मे अधिसूचना, रद्द कर दी जाय, तो वह क्षेत्र यदि उक्त रद्द करने के दिनांक पर या उसमें पहले तथा भूमि–अभिलेखों में संशोधन से सम्बद्ध, कोई अन्तिम आज्ञा हो, तो उसके अधीन रहते हुए, रद्द करने के दिनांक से चकबन्दी–क्रियाओं के अधीन न रह जायेगा।

निर्विवाद उत्तराधिकार या अन्तरण के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

6. (1) धारा 3 की उपधारा (2) या धारा 3 (क) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् और धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले को चकबन्दीकर्ता द्वारा, और अन्तरण के आधार पर निर्विवाद नामान्तरण के मामले को सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी विहित की जाय, निपटाया जाएगा;

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् इस धारा के अधीन किसी मामले को न तो ग्रहण किया जाएगा, न ही जारी रखा जाएगा या न ही निपटाया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश, धारा 9 के अधीन किसी आपत्ति को वर्जित नहीं करेगा।

धारा 6 के सम्बन्ध में उपबन्ध

6 (क) धारा 6 के अन्तर्गत अन्तरण के निस्तारण की आज्ञा के पश्चात्, विवाद की स्थिति में बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा पारित आदेश निरस्त कर धारा 9 के अन्तर्गत निस्तारण हेतु प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

गाँव के नक्शों का पुनरीक्षण

7. कटक के प्रत्येक गाँव अथवा उसके भागों के अभिलेखों के पुनरीक्षण को सरल बनाने के विचार से तथा यहाँ आगे दिये हुए उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जिला उपसंचालक चकबन्दी कटक की प्रारम्भिक चकबन्दी–योजना तैयार होने के पूर्व उस कटक के गाँव के नक्शों का पुनरीक्षण करवायेगा।

अभिलेखों के पुनरीक्षण की प्रकिया में आधुनिक तकनीकी से डिजिटल नक्शे व अभिलेख तैयार किये जायेगें, इसमें यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यमान नक्शों का मिलान डिजिटल नक्शों से भी हो जाय।

खसरा तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण, संयुक्त जोतों के मूल्यों और अंशों का अवधारण

8. (1) धारा 7 के अधीन नक्शों का पुनरीक्षण हो जाने पर जिला उप–संचालक चकबन्दी आगे दिये हुए उपबन्धों के अधीन रहते हुए, और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय–

(i) कटक के खसरों का, खेतवार पड़ताल के पश्चात् और चालू वार्षिक रजिस्टर का, उसके परीक्षण तथा उसकी जाँच के पश्चात्, पुनरीक्षण करवायेगा।

(ii) चकबन्दी–समिति के परामर्श से मूल्यों का निर्धारण–

(क) प्रत्येक गाटे का मूल्यांकन, उसकी उत्पादन–शक्ति और स्थिति

पर, और यदि सिंचाई की कोई सुविधाएं उपलब्ध हों, तो उन पर भी विचार करने के पश्चात् करायेगा; और

(ख) गाटों के सभी पेड़ों, कुओं तथा अन्य उपस्थित समुन्नतियों का मूल्यांकन, उनका प्रतिकर आंकलित करने के प्रयोजनार्थ करायेगा।

(iii) यदि एक से अधिक स्वामी हों तो खण्ड (ii) के उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित मूल्य से प्रत्येक स्वामी का अंश निश्चित करवायेगा; और

(iv) उचित चकबन्दी सुनिश्चित करने के निमित्त विभाजन करने के लिए संयुक्त जोतों में प्रत्येक खातेदार का अंश अवधारित करायेगा;

(v) नक्शों के पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त क्षेत्रफल व अभिलेखों के अन्तर की शुद्धि हेतु त्रुटियाँ दर्शित की जायेंगी।

(2) जिला उपसंचालक, चकबन्दी, कटक के अन्तर्गत आने वाले गाटों के सम्बन्ध में नियत आकार में खसरा चकबन्दी तैयार करवायेगा और एक ऐसा विवरण तैयार करवायेगा जिसमें वे अशुद्धियां (उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले) तथा विवाद दिखाये जायेंगे जो वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण तथा उसकी जाँच करते समय और खेतवार पड़ताल के दौरान में ज्ञात हुए हों।

सिद्धान्तों का विवरण 8(क) तैयार करना

(1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति के परामर्श से चकबन्दी–क्रियाओं के अधीन प्रत्येक कटक के सम्बन्ध में एक विवरण (जिसे यहाँ आगे सिद्धान्तों का विवरण कहा गया है) नियत आकार में तैयार करेगा जिसमें वे सिद्धान्त दिये गये होंगे जिनका अनुसरण कटक में चकबन्दी–क्रियाओं के करने में किया जायेगा।

(2) सिद्धान्तों के विवरण में निम्नलिखित बातें भी होंगी–

(क) उन क्षेत्रों के ब्यौरे, जहाँ तक वे उस समय अवधारित किये जा सकें, जो आबादी के प्रसार, (जिसके अन्तर्गत कटक के अनुसूचित जाति तथा भूमिहीन व्यक्तियों की आबादी के लिए क्षेत्र भी हैं) तथा ऐसे अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, जो नियत किये जाएं, विनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ख) वह आधार, जिस पर खातेदार आबादी के प्रसार और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि देंगे; और

(ग) उस भूमि के ब्यौरे, जो राज्य की भूमि हो व राज्य की पूर्वानुमति में

चकबन्दी योजना में सम्मिलित की जानी उचित हो।

(घ) प्रत्येक कटक के लिए मानक गाटा।

(3) सहायक चकबन्दी अधिकारी गाटा या गाटों की उत्पादकता, अवस्थिति और वर्तमान मिट्टी की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए, चकबन्दी–समिति के सदस्यों और कटक के खातेदारों से कटक के सर्वोत्तम गाटों का अभिनिश्चय करके उपधारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट मानक गाटों का अवधारण करेगा।

(4) स्वैच्छिक चकबन्दी के लिये अधिसूचित क्षेत्रों में अतिरिक्त सिद्धान्त सम्मिलित किये जायेंगे।

अभिलेखों तथा विवरणों से उद्धरण जारी करना और धारा 8 तथा 8 (क) में उल्लिखित अभिलेखों को प्रकाशित करना और आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करना

9. (1) धारा 8 तथा 8 (क) में उल्लिखित अभिलेखों तथा विवरणों के तैयार हो जाने पर, सहायक चकबन्दी अधिकारी–

(क) यदि कोई लिपिकीय अशुद्धियां हों, तो उन्हें सही करेगा और सम्बद्ध खातेदारों तथा स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्तियों को नोटिस भेजेगा या भिजवायेगा, जिनमें चालू वार्षिक रजिस्टर और अन्य ऐसे अभिलेखों के, जो नियत किये जायें, सम्बद्ध उद्धरण हों और जिनसे निम्नलिखित बातें प्रकट हों–

(i) उनके भूमि में अधिकार और उसके सम्बन्ध में दायित्व;

(ii) उनके सम्बन्ध में धारा 8 के अन्तर्गत पायी गयी अशुद्धियां (उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले) और विवाद;

(iii) उचित चकबन्दी सुनिश्चित करने के निमित्त विभाजन आवश्यक होने पर उसके प्रयोजनार्थ संयुक्त जोतों में प्रत्येक खातेदार का विशिष्ट अंश;

(iv) गाटों का मूल्यांकन; और

(v) पेड़ों, कुओं और अन्य समुन्नतियों का प्रतिकर आंकलित करने के लिए उनका मूल्यांकन तथा यदि उनके एक से अधिक स्वामी हों तो उसका अभिभाजन;

(ख) चालू खसरा और चालू वार्षिक रजिस्टर, खसरा चकबन्दीए धारा 8 (क) के अधीन तैयार किया गया सिद्धान्तों का विवरण तथा कोई अन्य अभिलेख, जो अन्य बातों के साथ–साथ खण्ड (क) में उल्लिखित अन्य ब्यौरे दिखाने के लिए नियत किये जायें, कटक में प्रकाशित करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस भेजा गया हो, या स्वत्व रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति नोटिस प्राप्त होने के या उपधारा (1) के उद्धरणों के अधीन प्रकाशन के 21 दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है, जिनमें अभिलेखों या उनमें से लिये गये उद्धरणों के इन्द्राजों की शुद्धता अथवा उनके प्रकार के सम्बन्ध में, या सिद्धान्तों के विवरण के सम्बन्ध में या विभाजन की आवश्यकता के सम्बन्ध में आपत्ति की गई हो।

भूमि पर दावों तथा संयुक्त जोतों के विभाजन से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण

9 (क) (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, उस दशा में–

(i) जब भूमि पर दावों या संयुक्त जोतों के विभाजन के सम्बन्ध में आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई हों, तो सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् और

(ii) जब ऐसी कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत न की गयी हों, तो ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे,

(iii) अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षों में समझौता करा कर, जहाँ तक सम्भव हो, विवाद का निपटारा करेगा, अशुद्धियों को ठीक करेगा तथा विभाजन करेगा और ऐसे समझौते के आधार पर आज्ञाएँ पारित करेगा।

(किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ सहायक चकबन्दी अधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे, यह समाधान हो जाये कि उत्तराधिकार का मामला निर्विवाद है, वहां वह मामले का निस्तारण उसी जाँच के आधार पर करेगा।)

(2) वे सभी मामले जो उपधारा (1) के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा निस्तारित न किये गये हों, तथा गाटों के मूल्यांकन से सम्बद्ध सभी मामले और वे सभी मामले, जिनका सम्बन्ध पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का प्रतिकर आंकलित करने के लिये उनके मूल्यांकन तथा यदि एक से अधिक स्वामी हों तो उसको सहस्वामियों में विभाजित करने से हो, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा, चकबन्दी अधिकारी को भेजे जायेगें, जो उनका निस्तारण नियत रीति से करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन कार्य करता हुआ सहायक चकबन्दी अधिकारी और उपधारा (2) के अधीन कार्य करता हुआ चकबन्दी अधिकारी तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के होते हुए भी सक्षम न्यायालय माना जायेगा।

सिद्धान्तों के विवरण पर की गई आपत्तिगों का निस्तारण

9 (ख) (1) जब धारा 9 के अधीन सिद्धान्तों के विवरण के विरुद्ध आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई हों तो सहायक चकबन्दी अधिकारी सम्बद्ध, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने और चकबन्दी समिति के दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट चकबन्दी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो आपत्तियों का निस्तारण नियत रीति से करेगा।

(2) यदि सिद्धान्तों के विवरण के विरुद्ध धारा 9 में नियत समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गयी हो, तो उसकी शुद्धता की परीक्षा करने की दृष्टि से चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी–समिति को उचित सूचना देने के पश्चात् कटक का स्थलीय निरीक्षण करेगा और तत्पश्चात् वह सिद्धान्तों के विवरण मे ऐसे परिष्कार या परिवर्तन कर सकता है जों वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन– चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उक्त आज्ञा के दिनांक से 21 दि। के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निर्णय इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

(4) आपत्ति या अपील पर निर्णय देने से पहले चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, सम्बद्ध पक्षों तथा चकबन्दी–समिति को उचित पूर्व सूचना देने के पश्चात् कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा।

संयुक्त जोतों का विभाजन

9 (ग) (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी, धारा 9 (क) के अधीन संयुक्त जोतों का विभाजन कर सकते हैं, भले ही 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम (उत्तराखंण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 178 में या किसी अन्य विधि में कोई विपरीत बात दी गई हो, और वे उसका विभाजन स्वतः भी कर सकते हैं।

(2) संयुक्त जोतों का विभाजन अंशों के आधार पर किया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सम्बद्ध खातेदार सहमत हों तो विभाजन विशिष्ट गाटों के आधार पर किया जा सकता है।

पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर तैयार करना और रखना

10. (1) वार्षिक रजिस्टर धारा 9 (क) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन दी गई आज्ञाओं के आधार पर पुनरीक्षित किया जायेगा। तत्पश्चात् वह नियत आकार में तैयार किया जायेगा तथा कटक में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित वार्षिक रजिस्टर के किसी इन्द्राज

पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित अधिकारों अथवा स्वत्वों पर प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों तथा व्यवहारों से सम्बद्ध मामलों का निर्णय

12. (1) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित किन्हीं अधिकारों या स्वत्वों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों तथा व्यवहारों से सम्बद्ध समस्त मामले, जिनके लिए वादकरण तब विद्यमान नहीं था, जब धारा 7 से 9 तक की कार्यवाहीयां प्रारम्भ की गई थी अथवा चल रही थी, उनके उत्पन्न होने पर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष उठाये जा सकते हैं, किन्तु धारा 37 अथवा धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् नहीं।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन कोई मामला उठाया जाय तो उसकी सुनवाई तथा निर्णय पर धारा 7 से 11 तक के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह उपर्युक्त धाराओं के अधीन उठाया गया मामला हो।

नई जोतों की मालगुजारी का अवधारण तथा जोतों के भाग पर मालगुजारी का वितरण

12(क) (1) 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में किसी बात के होते हुए भी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) इस सम्बन्ध में निर्मित नियमों के अधीन रहते हुए–

(क) इस अधिनियम के अधीन पारित आज्ञाओं के फलस्वरूप खातेदार द्वारा अर्जित भूमि के अधिकारों के निमित्त देय मालगुजारी की धनराशि अवधारित कर सकता है; तथा

(ख) जहाँ आवश्यक हो वहां खातेदार की जोत के भाग के निमित्त देय मालगुजारी भी अवधारित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन देय मालगुजारी की धनराशि अवधारित करने में 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

जोतों का समामेलन

12(ख) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशित होने के पूर्व दो या अधिक खातेदार किसी भी समय चकबन्दी अधिकारी को समान भौमिक अधिकारों वाली अपनी जोतों को ऐसी शर्तों पर, जो आपस में तय हो, समामेलित करने के निमित्त प्रार्थना–पत्र दे सकते हैं। यदि प्रस्तावित समामेलन चकबन्दी के हित में हो, तो चकबन्दी अधिकारी उसे कार्यान्वित करेगा।

अध्याय 3

चकबन्दी योजना का तैयार किया जाना

चकबन्दी–योजना द्वारा शर्तों का पूरा किया जाना

13. (1) चकबन्दी–योजना निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगी, अर्थात्–

(क) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दिये गये अंशदानों के कारण की गई कटौतियाँ, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए, खातेदार के अधिकार तथा दायित्व, जैसे कि वे धारा 10 के अधीन तैयार किये गये वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित हों, उसे (खातेदार को) प्रदिष्ट भूमियों में सुरक्षित रहें;

(ख) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दिये गये अंशदानों के कारण की गई कटौतियां (यदि कोई हो) के अधीन रहते हुए, खातेदार को प्रदिष्ट गाटों का मूल्यांकन उसके द्वारा मूलतः धृत गाटों के मूल्यांकन के बराबर हो;

(ग) इस अधिनियम या तद्न्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित प्रतिकर निम्नवत् दिया जाए–

(1) खातेदार को–

(i) उन पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के लिए, जो उसके द्वारा मूलतः धृत थे और जो दूसरे खातेदार को प्रदिष्ट कर दिये गये हों, और

(ii) सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उसके द्वारा दी गयी भूमि के लिए;

(2) यथास्थिति, गाँव सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की ऐसी समुन्नतियों के लिए, यदि कोई हो, जो उसने उस भूमि पर की हो, जो उसकी हो और किसी खातेदार को प्रदिष्ट कर दी गई हो;

(घ) सिद्धान्तों के विवरण में दिये गये सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाए;

(ङ) प्रत्येक खातेदार को, यथासम्भव, उस स्थान पर जहाँ उसके पास अपनी जोत का सबसे बड़ा भाग हो, संहत क्षेत्र प्रदिष्ट किया जाए;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के लिखित अनुमोदन के बिना किसी खातेदार को तीन से अधिक चक प्रदिष्ट नहीं किये जा सकते;

प्रतिबन्ध यह भी है कि की गई कोई भी चकबन्दी केवल इसलिए अवैध न मानी जायगी कि किसी खातेदार के पास प्रदिष्ट चक तीन से अधिक हैं,

(घ) प्रत्येक खातेदार को, यथासम्भव, वह गाटा प्रदिष्ट किया जाए, जिसमें उसका सिंचाई का निजी साधन अथवा कोई अन्य समुन्नति विद्यमान हो और साथ में उसके निकट का ऐसा क्षेत्र प्रदिष्ट किया जाए, जिसका मूल्यांकन लगभग उतना ही हो, जितना कि वहाँ पर उसके द्वारा मूलभूत गाटों का था; और

(छ) प्रत्येक खातेदार को, यथासम्भव, समकोण निर्माण कटकों में समकोण निर्माण की प्रक्रिया के अनुकूल चक प्रदिष्ट किये जायें।

(ज) स्वैच्छिक चकबन्दी के सिद्वान्तों का अनुसरण किया जायेगा एवं धारा 13, 16 व धारा 19 के अनुरूप स्वैच्छिक चकबन्दी के लिए निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

(2) कोई भी चकबन्दी–योजना, धारा 16 के अधीन उसे अन्तिम रूप दिये जाने के पूर्व धारा 13 के उपबंधों के अनुसार प्रारम्भिक रूप से तैयार की जाएगी।

सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक चकबन्दी–योजना का तैयार किया जाना

13(क) (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी–समिति के परामर्श से, नियत आकार में, कटक के लिए प्रारम्भिक चकबन्दी–योजना तैयार करेगा।

(2) इस अधिनियम में या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य मे यथा प्रवृत्त) या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सहायक चकबन्दी अधिकारी के लिए, जहाँ उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो, विधिसंगत होगा कि वह मूल्यांकन करने के पश्चात् (कोई भूमि जो राज्य सरकार की हो या) कोई भी भूमि, जो 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 या 117–क के अधीन जारी की गई अधिसूचना के फलस्वरूप गाँव सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो, किसी भी खातेदार को प्रदिष्ट करे;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी कोई भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाती हो, तो वह भूमि सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में यह प्रख्यापन करने के पश्चात् ही प्रदिष्ट की जाएगी, कि सार्वजनिक तथा समस्त व्यक्ति–विशेषों के उस भूमि में या उस पर अधिकारों को किसी अन्य भूमि में जो प्रख्यापन में निर्दिष्ट हो और जो उक्त प्रयोजन के लिए प्रारम्भिक चकबन्दी–योजना में विनिर्दिष्ट हो, संक्रमित करने का प्रस्ताव है।

प्रारम्भिक चकबन्दी–योजना का प्रकाशित किया जाना और उसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ प्राप्त करना

14. (1) प्रारम्भिक चकबन्दी–योजना के तैयार हो जाने पर, सहायक चकबन्दी अधिकारी, सम्बद्ध खातेदारों और स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को नोटिस भेजेगा या भिजवायेगा, जिनमें उक्त योजना से लिए गये सम्बद्ध उद्धरण दिये होंगे। तत्पश्चात् प्रारम्भिक चकबन्दी–योजना कटक में प्रकाशित की जाएगी।

(2) धारा 11 (क) में दिये गये उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस भेजा गया हो, और प्रारम्भिक चकबन्दी–योजना से प्रभावित कोई अन्य व्यक्ति, जो प्रारम्भिक चकबन्दी–योजना के इन्द्राजों या उससे लिये गये उद्धरणों के औचित्य या शुद्धता पर आपत्ति करे, यथास्थिति नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से या प्रारम्भिक चकबन्दी–योजना के प्रकाशन के दिनांक से 45 दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(3) कोई भी प्रभावित व्यक्ति अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सार्वजनिक भूमि में या उस पर सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के अतिरिक्त कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त हों, या ऐसा अन्य स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो जिस पर धारा 13 (क) की उपधारा (2) के अधीन किये गये प्रख्यापन से स्वतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, प्रारम्भिक चकबन्दी–योजना के प्रकाशित होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी के समक्ष, यह बताते हुए, आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है कि उक्त स्वत्व या अधिकार किस प्रकार का है।

प्रारम्भिक चकबन्दी–योजना पर की गयी आपत्तियों का निस्तारण

15. (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आपत्तियाँ तदर्थ नियत कालावधि की समाप्ति के पश्चात् उसके द्वारा चकबन्दी अधिकारी के पास भेज दी जाएगी जो कि एतदपश्चात् व्यवस्थित रीति से सम्बद्ध तरीकों तथा चकबन्दी–समिति को नोटिस देने के पश्चात् उन्हें और साथ–ही–साथ अपने को प्राप्त आपत्तियों को भी निस्तारित करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, आज्ञा के दिनांक से 45 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका इस सम्बन्ध में निर्णय, सिवाय उस दशा में जबकि अधिनियम द्वारा अथवा इस अधिनियम में, अन्यथा व्यवस्था हो, अन्तिम होगा।

(3) आपत्तियाँ निर्णीत करने से पहले चकबन्दी अधिकारी सम्बद्ध पक्षों तथा चकबन्दी–समिति को नोटिस देने के पश्चात् विवादग्रस्त गाटों का स्थानीय निरीक्षण करेगा तथा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) भी अपील निर्णीत करने से पहले ऐसा कर सकता है।

(4) यदि किसी आपत्ति के निस्तारण अथवा अपील की सुनवाई के दौरान में, यथास्थिति, चकबन्दी अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) की यह राय हो कि, यथास्थिति, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा तैयार की गई या बाद में चकबन्दी अधिकारी द्वारा परिष्कृत की गई प्रारम्भिक चकबन्दी–योजना के कार्यान्वयन से बहुत से खातेदारों के साथ सारतः अन्याय होने की सम्भावना है, और प्रारम्भिक चकबन्दी–योजना का पुनरीक्षण किये बिना अथवा नई प्रारम्भिक चकबन्दी–योजना तैयार किये बिना कटकों के खातेदारों को भूमि का ठीक और उचित प्रदेशन सम्भव नहीं है, तो उन कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जाएगा–

(i) चकबन्दी अधिकारी के लिए यह वैध होगा कि वह सम्बद्ध खातेदारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रारम्भिक चकबन्दी–योजना का पुनरीक्षण करे अथवा उसे ऐसे निर्देशों सहित, जिन्हें चकबन्दी अधिकारी आवश्यक समझें, सहायक चकबन्दी अधिकारी को वापस कर दे; और

(ii) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के लिए यह वैध होगा कि वह सम्बद्ध खातेदारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का पुनरीक्षण करे अथवा उसे सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी को, जैसा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) उचित समझे, ऐसे निर्देशों के साथ वापस कर दे, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

प्रारम्भिक चकबन्दी योजना की पुष्टि तथा प्रदेशन आज्ञाओं का जारी किया जाना

16. (1) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) प्रारम्भिक चकबन्दी योजना की पुष्टि करेगा–

(क) यदि धारा 14 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत न की गई हों; या

(ख) यदि उक्त आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई हों, तो ऐसे परिष्कारों या परिवर्तनों के पश्चात् जो धारा 15 की उपधारा (1) से (4) तक के अधीन दी गयी आज्ञाओं की दृष्टि में रखते हुए आवश्यक हो।

(2) इस प्रकार पुष्टिकृत प्रारम्भिक चकबन्दी–योजना कटक में प्रकाशित की जायगी तथा इस अधिनियम में अथवा इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए अन्तिम होगी।

(3) (i) यदि धारा 13(क) के अधीन किये गये प्रदेशनों को धारा 15 के अधीन परिष्कृत न किया जाय और धारा 16 के अधीन उनकी पुष्टि कर दी जाय,

तो धारा 14 के अधीन जारी की गयी नोटिस में दिये गये उद्धरणों को सम्बद्ध खातेदारों के लिए इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए अन्तिम समझा जाएगा।

(ii) खण्ड (i) के अधीन न आने वाले मामलों में पुनरीक्षित उद्धरण जिनमें उपधारा (1) के अधीन यथा पुष्टिकृत परिष्कृत प्रदेशन उल्लिखित होंगे–

(क) यदि प्रदेशन बंदोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा परिष्कृत न किये गये हों, तो चकबन्दी अधिकारी द्वारा; और

(ख) यदि बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) ने प्रदेशनों का परिष्कार किया हो, तो उनके द्वारा जारी किये जायेंगे;

और वे सम्बद्ध खातेदारों के लिए इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए अन्तिम प्रदेशन आज्ञाएं होंगी।

(4) धारा 13 में चकबन्दी की प्रारम्भिक योजना तैयार हो जाने के उपरान्त चकबन्दी अधिकारी या ऐसा अन्य समकक्ष अधिकारी, जो इसके लिए उप संचालक चकबन्दी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, प्रारम्भिक योजना के अनुरूप एक भूमिधर की भूमि का दूसरे भूमिधर की भूमि से विनिमय की अनुज्ञा जारी करेगा। इसके अतिरिक्त वह एक खातेदार द्वारा दूसरे खातेदार को दिये जाने वाले दान या उपहार को भी दर्ज करेगा। यदि कोई खातेदार सार्वजनिक उपयोग के लिए दान या उपहार स्वरूप भूमि देना चाहता है तो उसे तदनुसार दर्ज करेगा। विनिमय की ऐसी सभी अनुज्ञायें तथा दान व उपहार के सभी मामलों में आदेश दर्ज हो जाने के उपरान्त चकबन्दी योजना को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

अध्याय–4

योजना का लागू किया जाना

कब्जा और पेड़ों आदि के लिए प्रतिकर का दायित्व

17. (1) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) वह दिनांक निश्चित करेगा जो कटक में अधिसूचित होगा, तथा जिस दिनांक से अन्तिम चकबन्दी योजना प्रचलित होगी, उक्त दिनांक को अथवा उसके पश्चात् खातेदारों को प्रदिष्ट गाटों पर कब्जा करने का अधिकार होगा।

(2) अन्तिम चकबन्दी योजना के कार्यान्वयन के अनुसरण में उसकी प्रदिष्ट गाटों में स्थित पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों को पाने वाला प्रत्येक खातेदार कब्जा पाने के दिनांक से उसके भूतपूर्व खातेदार को पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के लिए, जो उसे प्रदिष्ट की गयी हों, वहाँ पूर्व–व्यवस्थित रीति से अवधारित प्रतिकर का देनदार होगा और देगा।

नये माल–अभिलेख

18. (1) अन्तिम चकबन्दी योजना के प्रचलित होने के पश्चात् यथासम्भव, शीघ्र बन्दोबस्त अधिकारी धारा 7 के अधीन यथासंशोधित नक्शों, खसरा–चकबन्दी तथा धारा 10 के अधीन तैयार किये गये वार्षिक रजिस्टर के इन्द्राजी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्तिम रूप से दी गई तथा जारी की गयी प्रदेशन–आज्ञाओं के आधार पर प्रत्येक गाँव के लिए चकबन्दी–क्षेत्र का नया नक्शा, खसरा तथा अधिकार–अभिलेख तैयार कराएगा। उक्त नक्शों और अभिलेखों को तैयार करने में उ०प्र० भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उ०प्र० अधिनियम सं० 3 सन् 1901) के उपबंधों का ऐसे परिष्कारों तथा परिवर्तनों के अधीन रहते हुए, जो नियत किये जाएं, अनुसरण किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार तैयार किये गये अधिकार–अभिलेखों की सभी प्रविष्टियाँ ठीक मानी जायेंगी जब तक उनके विरूद्ध प्रमाणित न कर दिया जाए।

(3) धारा 37 (क) के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात् कलेक्टर अपने द्वारा पहले रखे जाने वाले नक्शा, खसरा तथा अधिकार–अभिलेख के स्थान पर उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार तैयार किये गये नक्शा, खसरा तथा अधिकार–अभिलेख रखेगा और उ०प्र० भू–राजस्व अधिनियम, 1901 के उपबन्ध ऐसे नक्शे, खसरा और अधिकार–अभिलेख के रखे जाने और उन्हें शुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

कब्जा दिलाना

19. (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, ऐसे खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति के प्रार्थना–पत्र पर, जिसे अन्तिम चकबन्दी योजना के अन्तर्गत चक या भूमियाँ प्रदिष्ट की गई हों (और जहाँ कोई भूमि राज्य सरकार को प्रदिष्ट की गयी हो, वहाँ राज्य सरकार के किसी प्रार्थना–पत्र के बिना उस दिनांक से, जब उक्त योजना प्रचलित हुई हो, छह मास के भीतर, यथास्थिति, खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति या राज्य सरकार को प्रदिष्ट चक या भूमि का वास्तविक कब्जा दिलायेगा) और ऐसा करने में उसे वे सभी अधिकार, जिनमें अवमान, प्रतिरोध तथा ऐसी अन्य बातों के सम्बन्ध में अधिकार भी हैं, प्राप्त होंगे जिनका प्रयोग अचल सम्पत्ति पर कब्जा दिलाने की डिक्री के निष्पादन में दीवानी न्यायालय कर सकते हैं;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि सहायक चकबन्दी अधिकारी उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायें, यह निर्णय न करे कि फसल पर भी कब्जा दिलाया जायेगा, उपर्युक्त प्रकार से कब्जे का दिलाया जाना उक्त व्यक्ति के, जिससे कब्जा संक्रमित किया गया हो, कब्जा दिलाने के दिनांक पर उक्त चक या भूमियों या उनके भाग पर खड़ी फसलों को पालने–पोसने और उन्हें एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव न पड़ेगा;

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब कोई व्यक्ति प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अनुसार खड़ी फसलों का पालन–पोषण करे तथा उसे एकत्र करे तो वह उस व्यक्ति को जिसे चक या भूमियाँ प्रदिष्ट की गई हों, भूमि के प्रयोग के लिए ऐसी दर पर और ऐसी रीति से प्रतिकर देगा, जो नियत की जाए।

(2) जिस दिनांक को खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति (या राज्य सरकार) प्रदिष्ट चक या भूमियों पर कब्जा करने की हकदार हो गई हो, चाहे उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 1962 के प्रचलित होने के पूर्व हो या उसके पश्चात् उसके 6 मास समाप्त हो जाने पर या उक्त अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से 6 मास समाप्त होने पर, जो भी दिनांक बाद में पड़े, यथास्थिति, खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति (या राज्य सरकार) के सम्बन्ध में, जब तक कब्जा पहले ही न कर लिया गया हो, यह समझा जायेगा कि उसने प्रदिष्ट चक या भूमियों पर वास्तविक रूप से कब्जा कर लिया है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह तथ्य कि खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति (या राज्य सरकार) ने इस प्रकार कब्जा कर लिया है और उस व्यक्ति के, जिससे कब्जा संक्रमित किया गया समझा जाए, उपर्युक्त 6 मास की अवधि समाप्त हो जाने के दिनांक को ऐसे चक या भूमियां अथवा उनके भाग पर खड़ी फसल को पालने–पोसने और उसे एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगा।

प्रतिकर

20. (1) यदि धारा 19 के अधीन खड़ी फसलों पर भी कब्जा दिलाया जाय, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी उस भूमि के खातेदार द्वारा, जिसे कब्जा दिलाया गया हो, ऐसी फसलों के सम्बन्ध में देय प्रतिकर को नियत रीति से अवधारित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आज्ञा के दिनांक से 15 दिन के भीतर, चकबन्दी अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि सहायक चकबन्दी अधिकारी उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायें, यह निर्णय न करे कि फसल पर भी कब्जा दिलाया जायेगा, उपर्युक्त प्रकार से कब्जे का दिलाया जाना उक्त व्यक्ति के, जिससे कब्जा संक्रमित किया गया हो, कब्जा दिलाने के दिनांक पर उक्त चक या भूमियों या उनके भाग पर खड़ी फसलों को पालने–पोसने और उन्हें एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव न पड़ेगा;

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब कोई व्यक्ति प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अनुसार खड़ी फसलों का पालन–पोषण करे तथा उसे एकत्र करे तो वह उस व्यक्ति को जिसे चक या भूमियाँ प्रदिष्ट की गई हों, भूमि के प्रयोग के लिए ऐसी दर पर और ऐसी रीति से प्रतिकर देगा, जो नियत की जाए।

(2) जिस दिनांक को खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति (या राज्य सरकार) प्रदिष्ट चक या भूमियों पर कब्जा करने की हकदार हो गई हो, चाहे उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 1962 के प्रचलित होने के पूर्व हो या उसके पश्चात् उसके 6 मास समाप्त हो जाने पर या उक्त अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से 6 मास समाप्त होने पर, जो भी दिनांक बाद में पड़े, यथास्थिति, खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति (या राज्य सरकार) के सम्बन्ध में, जब तक कब्जा पहले ही न कर लिया गया हो, यह समझा जायेगा कि उसने प्रदिष्ट चक या भूमियों पर वास्तविक रूप से कब्जा कर लिया है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह तथ्य कि खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति (या राज्य सरकार) ने इस प्रकार कब्जा कर लिया है और उस व्यक्ति को, जिससे कब्जा संक्रमित किया गया समझा जाए, उपर्युक्त 6 मास की अवधि समाप्त हो जाने के दिनांक को ऐसे चक या भूमियां अथवा उनके भाग पर खड़ी फसल को पालने–पोसने और उसे एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगा।

प्रतिकर

20. (1) यदि धारा 19 के अधीन खड़ी फसलों पर भी कब्जा दिलाया जाय, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी उस भूमि के खातेदार द्वारा, जिसे कब्जा दिलाया गया हो, ऐसी फसलों के सम्बन्ध में देय प्रतिकर को नियत रीति से अवधारित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आज्ञा के दिनांक से 15 दिन के भीतर, चकबन्दी अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि सहायक चकबन्दी अधिकारी उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायें, यह निर्णय न करे कि फसल पर भी कब्जा दिलाया जायेगा, उपर्युक्त प्रकार से कब्जे का दिलाया जाना उक्त व्यक्ति के, जिससे कब्जा संक्रमित किया गया हो, कब्जा दिलाने के दिनांक पर उक्त चक या भूमियों या उनके भाग पर खड़ी फसलों को पालने–पोसने और उन्हें एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव न पड़ेगा;

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब कोई व्यक्ति प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अनुसार खड़ी फसलों का पालन–पोषण करे तथा उसे एकत्र करे तो वह उस व्यक्ति को जिसे चक या भूमियाँ प्रदिष्ट की गई हों, भूमि के प्रयोग के लिए ऐसी दर पर और ऐसी रीति से प्रतिकर देगा, जो नियत की जाए।

(2) जिस दिनांक को खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति (या राज्य सरकार) प्रदिष्ट चक या भूमियों पर कब्जा करने की हकदार हो गई हो, चाहे उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 1962 के प्रचलित होने के पूर्व हो या उसके पश्चात् उसके 6 मास समाप्त हो जाने पर या उक्त अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से 6 मास समाप्त होने पर, जो भी दिनांक बाद में पड़े, यथास्थिति, खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति (या राज्य सरकार) के सम्बन्ध में, जब तक कब्जा पहले ही न कर लिया गया हो, यह समझा जायेगा कि उसने प्रदिष्ट चक या भूमियों पर वास्तविक रूप से कब्जा कर लिया है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह तथ्य कि खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति (या राज्य सरकार) ने इस प्रकार कब्जा कर लिया है और उस व्यक्ति के, जिससे कब्जा संक्रमित किया गया समझा जाए, उपर्युक्त 6 मास की अवधि समाप्त हो जाने के दिनांक को ऐसे चक या भूमियां अथवा उनके भाग पर खड़ी फसल को पालने–पोसने और उसे एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगा।

प्रतिकर

20. (1) यदि धारा 19 के अधीन खड़ी फसलों पर भी कब्जा दिलाया जाय, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी उस भूमि के खातेदार द्वारा, जिसे कब्जा दिलाया गया हो, ऐसी फसलों के सम्बन्ध में देय प्रतिकर को नियत रीति से अवधारित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आज्ञा के दिनांक से 15 दिन के भीतर, चकबन्दी अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

प्रतिकर की वसूली

20(क) (1) जब कोई खातेदार, जिससे इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर की वसूली होना हो तदर्थ नियत अवधि के भीतर प्रतिकर न दे, तो उसके पाने का अधिकारी व्यक्ति वसूली के लिए उसे उपलब्ध अन्य किसी साधन के साथ-साथ कलेक्टर को ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, इस आशय का प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि उसकी ओर से प्राप्त धनराशि सरकार को देय मालगुजारी के बकाया की भाँति वसूल की जाए।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर धारा 17 अथवा धारा 19 के अधीन जैसी भी स्थिति हो, कब्जा पाने के दिनांक से 3 महीने के भीतर पूर्णतः या अंशतः अदा न किया गया हो, तो ऐसी धनराशि पर, जो इस प्रकार अदा की गई हो, 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जायेगा।

सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त भूमि दिये जाने के कारण मालगुजारी में कमी

20(ख) (1) यदि धारा 6 (क) के उपबन्धों के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त अंशदान में भूमि दिये जाने के फलस्वरूप खातेदार की मूल जोत का क्षेत्रफल कम हो जाय, तो उक्त जोत के लिए देय मालगुजारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा उस अनुपात में कम कर दी जायगी जो अंशदान के रूप में दिये गये क्षेत्र का उक्त जोत के कुल क्षेत्रफल से हो और कम हुई मालगुजारी प्रारम्भिक चकबन्दी-योजना में दिखाई जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई कमी से क्षुब्ध कोई खातेदार धारा 14 के अधीन प्रारम्भिक चकबन्दी-योजना के प्रकाशन के दिनांक से 45 दिन के भीतर 1950 ई० के जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के उपबंधों के अनुसार मालगुजारी में कमी अवधारित किये जाने के लिए सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त खातेदार द्वारा दी गयी भूमि के लिए प्रतिकर

20(ग) (1)(क) प्रत्येक खातेदार को, जिसकी जोत का कोई भाग इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दिया गया हो, इस प्रकार दी गई भूमि के लिए प्रतिकर दिया जायेगा जो धारा 20 (क) के अधीन कम की गई मालगुजारी का-

(i) (अंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर) की भूमि के विषय में चार गुना; और
(ii) (अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर) की भूमि के विषय में दो गुना होगा।

इस प्रकार दी गयी भूमि के भीतर पड़ने वाले पेड़ो, कुओं तथा अन्य वस्तियों के विषय में प्रतिकर की धनराशि धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(2) किसी खातेदार को देय प्रतिकर का भुगतान, इस अधिनियम के अधीन क्रिया–सम्बन्धी व्यय को, यदि कोई हो, काटने के पश्चात् नकदी में किया जायेगा।

(3) जब कोई भूमि, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर का भुगतान किया जाय, किसी असामी के कब्जे में हो, तो यथास्थिति (अंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर अथवा अनंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर) को देय प्रतिकर में से उसका 5 प्रतिशत असामी को, उस भूमि में उसके अधिकार, आगम तथा स्वत्व के सम्बन्ध में दिया जायेगा।

सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गई भूमि का निहित होना

20(घ) (1) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गई भूमि, जिसमें खातेदारो द्वारा दान या उपहार में दी गयी भूमि सम्मिलित है, उस दिनांक से जब खातेदार समय–समय पर यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उन्हें प्रदिष्ट चकों पर कब्जा करने के हकदार हुए हों, (किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें उ0प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 लागू होती हो गाँव सभा में, और किसी अन्य क्षेत्र में राज्य सरकार में) निहित होगी और सदैव निहित ही समझी जायगी और उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होगी, जिसके लिए वह अन्तिम चकबन्दी–योजना में विनिर्दिष्ट की गई थी अथवा उक्त प्रयोजन न रहने की दशा में ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होगी, जो नियत किये जायें।

(2) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ० प्र० अधिनियम सं० 1 सन् 1951) धारा 117 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ (गाँव सभा में निहित) ऐसी भूमि पर लागू होंगे मानों कि ऐसी भूमि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन राज्य–सरकार द्वारा की गई घोषणा के आधार पर गांव सभा में निहित हो गई थी और मानो कि घोषणा इस धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपयोगिता की शर्तों के अधीन रहते हुए की गई थी।

वे परिणाम जो कब्जा बदलने पर होंगे

21. उस दिनांक से जब इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कोई खातेदार अपने को प्रदिष्ट चक पर उसने कब्जा कर लिया है; निम्नलिखित परिणाम होंगे–

(क) निम्नलिखित के अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्व अपनी–अपनी मूल जोतों में समाप्त हो जायेंगे–

(i) वह खातेदार, जो कब्जा करे या जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाय कि उसने कब्जा कर लिया है, और

(ii) चक में सम्मिलित गाटों का पूर्ववर्ती खातेदार; और

(ख) उस खातेदार के, जो कब्जा करे या जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाय कि कब्जा कर लिया है, अपने चक में वही अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्व होंगे जो उसकी अपनी मूल जोत में थे और उसे ऐसे निजी स्त्रोत से, जब तक कि वह स्त्रोत विद्यमान रहे, सिंचाई की सुविधाएं भी प्राप्त रहेंगी, जो चक में सम्मिलित गाटों के पूर्ववर्ती खातेदार को उन गाटों के सम्बन्ध में प्राप्त थीं;

(ग) उन भूमियों के सम्बन्ध में जो गांव सभा या किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित हों और जो खातेदार को प्रदिष्ट की गयी हों, यह समझा जाएगा कि वे राज्य–सरकार द्वारा 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि–व्यवस्था अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 117 या धारा 117–क के उपबन्धों के अधीन वापस ले ली गयी है और उनका बन्दोबस्त खातेदार के साथ कर दिया गया है;

(घ) धारा 13 (क) की उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक अण्ड के अधीन किये गये प्रख्यापन के बाद, चक में सम्मिलित भूमि में या भूमि पर जन–साधारण तथा सभी व्यक्ति–विशेषों के अधिकार समाप्त हो जायेंगे और वे अन्तिम चकबन्दी–योजना में इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट भूमि में सृजित हो जायेंगे; और

(ङ) उस खातेदार की; जो कब्जा करे या जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाए कि उसने कब्जा कर लिया है, मूल जोत पर भार, यदि कोई हो; चाहे वह पट्टा या बन्धक के रूप में हो या अन्य प्रकार हो, उस जोत के सम्बन्ध में समाप्त हो जायगा और वह उन जोतों पर या उनके ऐसे भागों पर हो जायेगा जो अन्तिम चकबन्दी–योजना में उसे निर्दिष्ट किया जाए।

खाता संकमित करने का अधिकार

22. उ०प्र० भू–राजस्व अधिनियम, 1901 और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में किसी बात के होते हुए भी, खातेदारों का अपनी जोतों में अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्वों का ऐसा संक्रमण, चाहे वह विनिमय द्वारा हो या अन्य प्रकार से, जो उन्हें प्रभावित करने वाली अन्तिम चकबन्दी–योजना के कार्यान्वयन में अन्तर्ग्रस्त हो, वैध होगा और किसी खातेदार या अन्य व्यक्ति को ऐसे संक्रमण पर आपत्ति करने अथवा उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार न होगा।

व्यय

23. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन संचालित क्रियाओं का व्यय निश्चित करेगी और कटक के खातेदार से उसका ऐसा भाग और ऐसी रीति से वसूल करेगी जो नियत की जाय;

(2) यदि राज्य सरकार निर्णय करे, तो वह आज्ञा दे सकती है कि उक्त क्रियाओं के व्यय की प्रथम किश्त के रूप में कोई निर्दिष्ट धनराशि नियत रीति से अग्रिम वसूल की जाए;

(3) इस धारा के अधीन व्यय, देय धनराशि मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल की जाएगी।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

साक्षियों को उपस्थित कराने तथा अन्य विषयों के अधिकार

24. निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में चकबन्दी संचालक, उप–संचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी–अधिकारी और सहायक चकबन्दी अधिकारी को ऐसे सब अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, जो किसी व्यवहार में निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय को प्राप्त हैं–

(क) साक्षियों को उपस्थित कराना और उनको शपथ देकर, प्रतिज्ञान कराने या अन्य प्रकार से उनके बयान लेना और विदेशस्थ साक्षियों का बयान लेने के लिए कमीशन या निवेदन–पत्र जारी करना;

(ख) किसी को कोई लेख्य प्रस्तुत करने को बाध्य करना;

(ग) अवमान के लिए लोगों को दण्ड देना और किसी भी व्यवहार में साक्षियों को उपस्थित और लेख्यों को प्रस्तुत कराने के लिए दीवानी–न्यायालय द्वारा जारी किये जा सकने वाले किसी भी पद्धति के स्थान पर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ सम्मन भेजा जा सकता है और वह उक्त यथारीति पद्धति के बराबर ही समझा जायेगा।

लेख्य इत्यादि प्रस्तुत कराने का अधिकार

25. (1) नियत किये जाने वाले प्रतिबन्धों या निरोधों को बाधित न करते हुए चकबन्दी संचालक, उप–संचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी या सहायक चकबन्दी अधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा

किसी व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं कि वह ऐसे लेख्य, पत्र और रजिस्टर प्रस्तुत करे या ऐसी सूचना दे जिसे वे इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का उचित प्रयोग या कर्तव्यों का उचित पालन करने के लिए आवश्यक समझे।

(2) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसे इस धारा के अधीन कोई लेख्य, पत्र या रजिस्टर प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने का आदेश दिया गया हो, यह समझा जायेगा कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 175 एवं 176 के अर्थ में विधितः ऐसा करने को बाध्य है।

चकबन्दी संचालक, उप–संचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के सामने कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाही माना जाना

26. किसी चकबन्दी संचालक, उप–संचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के सामने होने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही है।

चकबन्दी प्राधिकारियों शक्तियां

26(क) चकबन्दी प्राधिकारियों को सी0आर0पी0सी0 की धारा 1 से 11 के बीच समाहित शक्तियों के अनुरूप मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ राज्य सरकार की पूर्वानुमति से विशिष्ट परिस्थितियों में प्रदत्त होंगी।

26(ख) धोखा के आधार पर आदेश को चुनौती– यदि चकबन्दी न्यायालय या उसके समक्ष विचाराधीन किसी वाद या कार्यवाही के पक्षकार को धोखा देकर कोई आदेश पारित करा लिया जाता है तो ऐसे आदेश को यह कहकर चुनौती दी जा सकती है कि प्रश्नगत आदेश न्यायालय या पक्षकार को धोखा देकर कराया गया है, लेकिन इस प्रकार की कार्यवाही में किसी पक्षकार द्वारा किये गये धोखे को साबित करने के लिए सुसंगत साक्ष्य को प्रस्तुत करना जरूरी है केवल सम्भावना के आधार पर धोखे की दलील पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चकबन्दी अधिकारी ऐसे कार्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे।

26(ग) धोखा या भ्रांत कथन के आधार पर पारित आदेश चकबन्दी न्यायालय स्वयं अपास्त करने का अधिकार – यदि कोई व्यक्ति न्यायालय को धोखा देकर या भ्रान्त कथन के आधार पर कोई आदेश पारित करवा लेता है तो न्यायालय सही तथ्यों की जानकारी होने पर इस प्रकार पारित आदेश को

स्वयं या किसी क्षुब्ध व्यक्ति के प्रार्थना–पत्र पर अपास्त कर सकता है। ऐसे मामलों में चकबन्दी प्राधिकारी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के अधीन व्यवस्थित अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। धोखा देकर पारित कराये गये आदेश को अपास्त कराने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परिसीमा नियत नहीं की गई है। कोई भी क्षुब्ध व्यक्ति भले ही वह संबंधित कार्यवाही में पक्षकार न हो, ऐसे आदेश से अवगत होने पर 45 दिन के अन्दर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

उ०प्र० भू–राजस्व अधिनियम, 1901 का लागू किया जाना

27. जब तक कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्य प्रकार की स्पष्ट व्यवस्था न की गई हो, उ०प्र० भू–राजस्व अधिनियम, 1901 के अध्याय 9 तथा 10 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन सब कार्यवाहियों पर लागू होंगे, जिनके अन्तर्गत अपील और आवेदन–पत्र भी हैं।

शपथ–पत्र

27(क) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में, जिसके अन्तर्गत कोई अपील या पुनरीक्षण भी है, प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र उसी रीति से और उन्हीं अपेक्षाओं के अनुरूप दिये जायेंगे जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन कोई शपथ–पत्र दिया जाता है और उसका सत्यापन उक्त संहिता की धारा 139 के खण्ड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा खण्ड (ग) के अधीन किसी अन्य न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

अधिकारी और प्राधिकारी

28. (1) राज्य–सरकार ऐसे क्षेत्रों में ऐसे प्राधिकारी तथा अधिकारी नियुक्त कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।

(2) जिला उप–संचालक चकबन्दी ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए, जो समय–समय पर चकबन्दी–संचालक द्वारा जारी किये जाएं, चकबन्दी–लेखपालों, चकबन्दीकर्ताओं तथा उपधारा (1) के अधीन जिले के लिए नियुक्त अन्य प्राधिकारियों के हलकों का परिच्छेद कर सकता है।

लिपिक तथा गणना सम्बन्धी भूलों की शुद्धि

28(क) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी यदि चकबन्दी अधिकारी अथवा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को यह संतोष हो जाय कि इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन तैयार किये गये किसी लेख्य में कोई लिपिक या गणना सम्बन्धी भूल प्रत्यक्ष हो, तो वह या तो स्वतः या स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति के प्रार्थनापत्र पर शुद्ध कर देगा।

प्रतिनिधायन

29. राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले निरोधों और प्रतिबंधों के अधीन:–

(i) इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त कोई अधिकार किसी अधिकारी या प्राधिकारी को सौंप सकती है;

(ii) इस अधिनियम अथवा तद्न्तर्गत बनी नियमावली के अधीन चकबन्दी संचालक, उप–संचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी के अधिकारों को किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को प्रदान कर सकता है।

उच्चतर प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग

29(क) जब इस अधिनियम के अधीन अथवा तद्न्तर्गत बनी नियमावली के अधीन किसी प्राधिकारी को अधिकारों का प्रयोग या कर्त्तव्यों का पालन करना हो, तो ऐसे अधिकारों का प्रयोग अथवा कृतव्यों का पालन उससे उच्चतर प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।

मापन तथा परिच्छेद के प्रयोजनों के लिए भूमि पर प्रवेश करने का अधिकारियों की अधिकार

30. इस अधिनियम में उल्लिखित अधिकारी या उनकी आज्ञाओं के अधीन कार्य करने वाले कोई व्यक्ति या उनमें से कोई एक इस अधिनियम के अधीन किसी कर्त्तव्य के पालन में भूमि पर प्रवेश कर सकता है, उसका मापन कर सकता है, उस पर मापन के चिह्न बना सकता है तथा उसकी सीमाओं का परिच्छेद कर सकता है और अन्य ऐसे कार्य कर सकता है जो उस कर्त्तव्य का उचित पालन करने के लिए आवश्यक हो।

अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दण्ड

30(क) (1) जो व्यक्ति धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह किसी समर्थ न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर, ऐसे जुर्माने का भागी होगा जो 1,000 रु० से अधिक न हो।

(2) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात के होते हुए भी धारा 4 के प्रावधानों के प्रतिकूल संक्रमण वैध अथवा मान्य न होगा।

मापन या सीमा, के चिह्नों को नष्ट करने, हानि पहुँचाने अथवा हटाने के सम्बन्ध में दण्ड

31. (1) यदि कोई व्यक्ति विधिक रूप से निर्मित किसी मापन (या सीमा) चिह्न को बिना विधिक अधिकार के जान–बूझकर नष्ट करे या हानि पहुँचाये या हटाये तो चकबन्दी अधिकारी उसे प्रतिकर की ऐसी धनराशि के भुगतान करने का आदेश दे सकता है, जो इस प्रकार से नष्ट किये गये, हानि पहुँचाये गये अथवा हटाये गये प्रत्येक चिह्न के लिए 1,000 रू० से अधिक न होगी और जो उस अधिकारी के मतानुसार उक्त चिह्न को पूर्व दशा में लाने के व्यय को पूरा करने तथा उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने नष्ट किये जाने, हानि पहुंचाये जाने की सूचना दी हो, पारितोषिक देने के लिए आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर देने के लिए दी गई कोई आज्ञा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 434 के अधीन अभियोजन में बाधक न होगी।

अधिनियम द्वारा स्वीकृत की जाने वाली अपीलें आदि

32. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी की गई किसी आज्ञा के विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण के निमित्त आवेदन–पत्र न प्रस्तुत किया जा सकेगा, जब तक कि इस सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा कोई व्यवस्था न की गई हो।

पुनरीक्षण और अभिदेश

33. (1) चकबन्दी संचालक किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी मामले या की गई किसी कार्यवाही का अभिलेख, उस कार्यवाही की अनियमितता के विषय में या उस मामले अथवा कार्यवाही में उस प्राधिकारी द्वारा दी गई (अन्तवर्ती आज्ञा से भिन्न) किसी आज्ञा की शुद्धता, वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसकी जाँच कर सकता है और सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस मामले या कार्यवाही में ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे।

(2) चकबन्दी संचालक द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग उपधारा (3) के अधीन अभिदेश किये जाने पर भी किया जा सकता है।

(3) चकबन्दी संचालक के अधीनस्थ कोई प्राधिकारी, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् किसी मामले या कार्यवाही का अभिलेख उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही के लिए चकबन्दी संचालक को अभिदिष्ट कर सकता है।

स्पष्टीकरण (1)– इस धारा के प्रयोजनों के लिए बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्ता और चकबन्दी–लेखपाल, चकबन्दी संचालक के अधीन होंगे।

स्पष्टीकरण (2)– इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द 'अन्तवर्ती आदेश' का अर्थ किसी मामले या कार्यवाही के सम्बन्ध में ऐसा आदेश होगा जो कि ऐसे मामले या कार्यवाही अथवा उससे सांपार्श्विक किसी ऐसे विषय का विनिश्चय करें, जिसका प्रभाव ऐसे मामले या कार्यवाही के अन्तिम निस्तारण का न हो।

स्पष्टीकरण (3) – इस धारा के अधीन किसी आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के परीक्षण करने के अधिकार में कोई निष्कर्ष, चाहे वह किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित तथ्य का हो या विधि का हो, सम्मिलित है और इसमें किसी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य का पुनर्विवेचन करने का अधिकार भी सम्मिलित है।

निष्क्रांत सम्पत्ति के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

33(क) (1) इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी–

(क) निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 के उपबंधों के अधीन निष्क्रांत सम्पत्ति के कस्टोडियन (जिन्हें यहां आगे चलकर इस धारा में कस्टोडियन कहा गया है) में निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में निहित किसी भूमि के आश्रय के सम्बन्ध में उसके निर्णय पर इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी अथवा प्राधिकारी न तो आक्षेप करेगा और न उसे परिवर्तित अथवा व्यतिक्रांत करेगा; और

(ख) इस अधिनियम में किसी बात का यह अर्थ न होगा, जिसमें कस्टोडियन किसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही को, जो उसके समक्ष इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के प्रचलित होने के दिनांक पर, जिसके अधीन भूमि के आगम से सम्बद्ध कार्यवाहियाँ रुकनी चाहिए, विचाराधीन हो, रोक सके अथवा जिससे चकबन्दी अधिकारी या अन्य किसी प्राधिकारी या अधिकारी को ऐसे अधिकार प्राप्त हों जिसके अनुसार उक्त दिनांक पर कस्टोडियन के समक्ष विचाराधीन किसी कार्यवाही में अन्तर्ग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में आगम के प्रश्न को अवधारण के लिए अभिदिष्ट करें।

(2) जब चकबन्दी–क्रियाओं के फलस्वरूप किसी गांव में–

(क) निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 के उपबंधो के अधीन निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में कस्टोडियन में निहित भूमियाँ उन जोतों में सम्मिलित कर दी जाय जो कस्टोडियन में निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में निहित न हों, तो ऐसी भूमि चकबन्दी योजना के प्रचलन के दिनांक पर और उक्त दिनांक से कस्टोडियन में इस प्रकार निहित न रहेंगी और तत्पश्चात् उक्त अधिनियम के उपबन्ध उनके सम्बन्ध में प्रवृत्त न रहेंगे; और

(ख) ऐसी भूमियो के बदले में उसी प्रकार की भूमियाँ इन जोतों में सम्मिलित कर दी जायेंगी जो कस्टोडियन में निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में निहित हों और ऐसी भूमियाँ चकबन्दी योजना के प्रचलन के दिनांक पर और उक्त दिनांक से उपर्युक्त अधिनियम के तात्पर्य के अन्तर्गत प्रख्यापित निष्क्रांत सम्पति समझी जायेंगी और कस्टोडियन में निहित हो जायेंगी और तत्पश्चात् उक्त अधिनियम के उपबन्ध यथासम्भव उनके सम्बन्ध में प्रवृत्त होंगे।

(ख) चकबन्दी–कार्य से सम्बद्ध खातेदार को प्रदिष्ट भूमि के कुल मूल्य में से खण्ड (क) में अभिदिष्ट मूल्यांकन को कम कर दिया जायेगा।

(ग) चकबन्दी–कार्यवाही के दौरान खातेदार उक्त भूमि के मूल्यांकन के बराबर भूमि का हकदार होगा।

चक–मार्गों तथा चक–गुलों के लिए विशेष व्यवस्था

37(क) (1) किसी ऐसे कटक की दशा में, जिसके सम्बन्ध में उ0प्र0 जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 1970 के प्रारम्भ होने के पूर्व धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी कर दी गई हो, धारा 37 मे दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, कलेक्टर, यदि उसकी यह राय हो कि कटक के चक–मार्गों या चक–गुलों की कोई व्यवस्था नहीं है अथवा अपर्याप्त व्यवस्था है, तो उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही कर सकता है; और यदि उक्त प्रारम्भ होने के दिनांक के छः महीने के भीतर कुल खातेदारों में से कम–से–कम दस प्रतिशत द्वारा इस आशय का अभ्यावेदन दिया जाय तो उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही करेगा।

(2) कलेक्टर इस धारा के अधीन कार्यवाही के प्रस्ताव की और उपधारा (1) के अधीन प्राप्त अभ्यावेदन की भी, यदि कोई हो, सूचना कटक में डुग्गी पिटवाकर और ऐसी अन्य रीति से यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, दिलवायेगा और किसी चकबन्दी अधिकारी को उस क्षेत्र का निरीक्षण करने तथा खातेदारों की या उनमें से ऐसे व्यक्तियों को, जो अभ्यावेदन में सम्मिलित न हों, इच्छाओं को सुनिश्चित करने के निमित्त युक्तियुक्त कदम उठाने और मामले में ऐसी अन्य जाँच करने, जिसे वह उचित समझे, का निर्देश देगा।

(3) ऐसा चकबन्दी अधिकारी कटक में चक–मार्गों या चक–गूलों की व्यवस्था करने या, जैसी भी दशा हो, और अधिक पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए योजना बनाने या न बनाने के औचित्य के सम्बन्ध में कलेक्टर को एक रिपोर्ट देगा और कलेक्टर उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है, योजना का एक प्रारूप तैयार करवायेगा।

(4) तदुपरान्त सहायक चकबन्दी अधिकारी कटक के उतने खातेदारों को, जितना वह व्यवहारगम्य समझे, इच्छा को अनौपचारिक रूप से सुनिश्चित करने के पश्चात् नियत प्रपत्र में योजना का एक प्रारूप तैयार करेगा जिसमें

चक–मार्गों या चक–गूलों की व्यवस्था अथवा अतिरिक्त व्यवस्था, जैसी आवश्यकता हो, करने का प्रस्ताव करेगा। योजना का प्रारूप तैयार करने में सहायक चकबन्दी अधिकारी निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:

(क) जहाँ तक व्यवहारगम्य हो, चक–मार्गों और चक–गूलों की व्यवस्था प्रथमतः गाँव सभा में निहित भूमि का उपयोग करके और द्वितीयतः उन खातेदारों द्वारा धृत भूमि में से, जिनके चक प्रस्तावित चक–मार्गों या चक गूलों से सम्बन्धित हों, और अन्ततः किसी अन्य भूमि से की जानी चाहिए।

(ख) चकों का पुनर्व्यवस्थापन केवल उस सीमा तक, जहाँ तक चक–मार्गों तथा चक–गूलों की व्यवस्था करने के लिए वास्तविक रूप में आवश्यक हो, और पहले से ही पुष्टीकृत चकबन्दी–योजना में कम से कम व्यतिक्रम किये बिना, किया जाना चाहिए।

(5) उपधारा (4) के अधीन तैयार की गयी योजना का प्रारूप कटक में नियत रीति से प्रकाशित किया जायेगा।

(6) योजना के प्रारूप से प्रभावित कोई व्यक्ति, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर चकबन्दी–अधिकारी के पास लिखित रूप में आपत्ति दाखिल कर सकता है।

(7) (क) चकबन्दी–अधिकारी सम्बद्ध पक्षों को नोटिस देने के पश्चात् सभी आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा के दिनांक से 30 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील कर सकता है जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(ग) खण्ड (क) के अधीन आपत्तियों पर निर्णय देने के पूर्व चकबन्दी–अधिकारी और खण्ड (ख) के अधीन अपील पर निर्णय देने के पूर्व बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) सम्बद्ध पक्षों को नोटिस देने के पश्चात् विवादास्पद स्थल का निरीक्षण कर सकता है।

(घ) खण्ड (क) के अधीन चकबन्दी अधिकारी और खण्ड (ख) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के लिए उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उपधारा (4) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार योजना के प्रारूप में परिष्कार करना और बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के लिए

उसे चकबन्दी अधिकारी या सहायक चकबन्दी अधिकारी को ऐसे निर्देशों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, प्रतिप्रेषित करना, वैध होगा।

(8) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी)–

(क) यदि उपधारा (6) में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की जाय; या

(ख) यदि ऐसी आपत्तियाँ प्रस्तुत की जाएँ जो ऐसे परिष्कारों या परिवर्तन के पश्चात् जो उपधारा (7) के अधीन आपत्तियों तथा अपीलों पर दी गई आज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हों, योजना की पुष्टि कर देगा।

(9) उपधारा (8) के अधीन पुष्टीकृत–योजना कटक में नियत रीति से प्रकाशित की जायेगी और ऐसे प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी और तदुपरान्त धारा 16 के अधीन अन्तिम रूप से बनी चकबन्दी योजना और दी गई प्रदेशन आज्ञाएं योजना में इंगित सीमा तक संशोधित हो जायेगी और तदनुसार बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा नयी प्रदेशन आज्ञाएँ जारी की जायेगी।

(10) अध्याय 4 के उपबन्ध उक्त योजना के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे अन्तिम चकबन्दी–योजना के सम्बन्ध में लागू होते हैं और अध्याय 4 को लागू किए जाने के प्रयोजन के लिए, इस धारा के अधीन व्यवस्थित चक–मार्गों और चक–गूलों के लिये दी गयी भूमि धारा 8 के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दी गयी भूमि समझी जायेगी।

खातेदारों के मध्य चकों का पारस्परिक विनिमय

38. बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के लिए यह वैध होगा कि वह चकबन्दी–क्रियाओं के किसी स्तर पर, किन्तु धारा 18 के अधीन अन्तिम अभिलेख तैयार हो जाने के पूर्व, खातेदारों के मध्य समझौते द्वारा चकों या उनके किसी भाग के पारस्परिक विनिमय की अनुमति दे, यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि उक्त विनिमय से चकों के आकार में सुधार हो जायेगा अथवा उनकी संख्या में कमी हो जायेगी और उन लोगों में सामान्यतया अपेक्षाकृत अधिक संतोष उत्पन्न होगा।

खातेदारों द्वारा तैयार की गयी चकबन्दी–योजना की मान्यता

38(क) (1) उप–संचालक चकबन्दी किसी गॉव के सम्बन्ध में, चाहे वह चकबन्दी क्षेत्र के भीतर हो या बाहर, गॉव के खातेदारों द्वारा स्वेच्छा से तैयार की गयी किसी (चकबन्दी योजना) को मान्यता दे सकता है, यदि वह इस बात से सन्तुष्टे हो कि उक्त योजना इस अधिनियम के अधीन चकबन्दी के सामान्य सिद्धान्तों के अनुकूल है तथा उससे सम्बद्ध सभी खातेदारों का समर्थन प्राप्त है और वह सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रति अन्यथा न्यायपूर्ण है।

(2) उपधारा (1) के अधीन मान्यता प्राप्त (चकबन्दी–योजना) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन तैयार तथा पुष्टि की गयी समझी जायेगी और उसके अधीन लागू समझी जाएगी।

कालावधि

38(ख) परिसीमन अधिनियम, 1963 की धारा 5 के उपबंध इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों, अपीलों, पुनरीक्षणों तथा अन्य कार्यवाहियों पर लांगू होंगे।

नियम बनाने का अधिकार

39 (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यन्वित करने के प्रयोजन के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं–

(क) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना का आकार;

(ख) धारा 2 के खण्ड (घ) के अधीन चकबन्दी–समिति का संगठन, चकबन्दी–समिति के सदस्यों के कार्यालय का अवधारणा तथा उसमें रिक्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही;

(ग) धारा 4 के अधीन स्थगित वादों और कार्यवाही के निस्तारण की प्रक्रिया;

(घ) चकबन्दी–क्षेत्रों में जोत के संक्रमण के लिए धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अभिनिर्दिष्ट अनुज्ञा देने के लिए बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तें;

(ङ) धारा 7 से 11 तक तथा धारा 12 के अधीन नक्शों और अभिलेखों के पुनरीक्षण जिसके अन्तर्गत अधिकारों का प्रख्यापन, संयुक्त जोतों का विभाजन, गाटों का मूल्यांकन, कुओं, पेडों तथा उप समुन्नतियों के प्रतिकर का अवधारण तथा अभियोजन भी है से सम्बद्ध प्रक्रिया और सिद्धान्तों के विवरण की तैयारी तथा प्रकाशन; और

(च) नये खाते पर मालगुजारी का अवधारण और धारा 12 (क) के अधीन उसका पुरानी जोतों के भागों पर वितरण; और

(छ) धारा 12 (ख) के अधीन जोतों के संयोजन से सम्बन्धित प्रक्रिया;

(ज) धारा 13(क), 15 और 16 के अधीन चकबन्दी–योजना तैयार करने, उसे प्रकाशित करने और उसकी पुष्टि करने की प्रक्रिया और रीति;

(झ) धारा 16 के अधीन प्रदेशन आज्ञाएँ जारी करने की प्रक्रिया और रीति;

(ञ) एतदर्थ निर्दिष्ट प्रयोजनों पर चकबन्दी–समिति के विचार प्राप्त करने की रीति और प्रक्रिया;

(ट) उस सार्वजनिक प्रयोजन का अवधारण, जिसके निमित्त क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये जायें और रीति जिसमें यह किया जाय;

(ठ) सार्वजनिक भूमि से उस भूमि मे जो सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त विनिर्दिष्ट की गई हो, अधिकारों के संक्रमण से सम्बद्ध विषय;

(ड) धारा 17 और 19 के अधीन कब्जा लेने की प्रक्रिया;

(ढ) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को दिये जाने वाले या उससे वसूल किए जाने वाले प्रतिकर के अवधारण की प्रक्रिया और रीति;

(ण) चकबन्दी व्यय के अन्तर्गत वह अनुपात भी है, जिसके अनुसार उसका वितरण किया जा सकता है। वितरण करने के सम्बन्ध में विचार की जाने वाली परिस्थितियाँ और विषय;

(त) इस अधिनियम के अधीन नोटिस या किसी लेख्य के तामील किये जाने की रीति से सम्बद्ध विषय;

(थ) इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों में, जिनके अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र और अपीलें भी है, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(द) इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रत्येक अधिनियम अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य और ऐसे अधिकारों या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ध) उन मामलों में, जिनमें यहाँ पर तत्सम्बन्धी विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना–पत्रों और अपीलों के प्रस्तुत किये जाने की कालावधि;

(न) किसी अधिकारी को निश्चित काल–सीमाओं के बढ़ाने का अधिकार देते हुए अथवा न देते हुए काल सम्बन्धी सीमाओं का निश्चय, जिनके भीतर नियमों के प्रयोजनों के निमित्त कार्य अवश्य किये जाने चाहिए;

(प) किसी प्राधिकारी या अधिकारी के पास से दूसरे को कार्यवाहियों का संक्रमण, और,

(फ) अन्य कोई विषय, जो नियत हो या नियत किया जाय ।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो विधानसभा अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र खुल्बे,
प्रमुख सचिव।

No. 277/XXXVI(3)/2016/28(1)/2016
Dated Dehradun, October 07, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Hills Consolidation Of Holdings And Land Reforms Act, 2016'** (Adhiniyam Sankhya 21 of 2016).

As Promulgated by the Governor of Uttarakhand and assented on 30 September, 2016.